93 III/निग0/सतना/भू-रा0/2017/3940

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

मोलई चर्मकार पिता विशाल चर्मकार आयु 95 वर्ष निवासी राजेन्द्र नगर खूंथी सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0..............निगराकार

बनाम

परमेश्वरदीन चर्मकार पिता स्व0देवनाथ चर्मकार मृत वारिस-

1- शंकरलाल चौधरी

2- कौशल प्रसाद चौधरी

3- श्यामप्रसाद चौधरी

4- हीरालाल चौधरी

5- बाबू चौधरी

6- सिंधी चौधरी

7- उषा चौधरी

8- श्यामकली चौधरी सभी के पिता परेश्वरदीन चर्मकार सभी निवासी राजेन्द्र नगर खूंथी सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना.........गैरनिगराकारगण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील रघुराजनगर जिला सतना के न्यायालय के राजस्व अपील प्र0क0-54/अपील/2016-17 मे पारित आदेश दिनांक 08/09/17 जिसमे अपीलार्थी का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम का निरस्त करते हुये अपील अवधि बाधित होना मानकर अपील निरस्त कर दी गई है।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

मान्यवर,

निगराकार निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है:-

प्रकरण के तथ्य

1- यह कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मृत गैरनिगराकार परमेश्वरदीन द्वारा धारा 250 म0प्र0भू0रा0सं0 के तहत् विचारण न्यायालय तहसीलदार तहसील रघुराजनगर जिला सतना के समक्ष देकर मौजा खूंथी

----2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण कमांक III/निग/17/3940 जिला– सतना

पक्षकार का नाम मोलई चर्मकार/ परमेश्वरदीन पाण्डे

(1)	(2)	(3)
28.12.17	प्रकरण प्रस्तुत । 2–आवेदक तथा आवेदक अधिवक्ता की पुकार कराई गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः संहिता की धारा 35 (2) के तहत प्रकरण आदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 3– आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे। सदस्य	